पत्र संख्या–प्र010ए / गृ0नि0अ0(वि0)–890 / 98 / वि0(अ0).

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा....

पटना, दिनांक–

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

विषयः– दीर्घकालीन अग्रिमों के मूलधन एवं सूद की वसूली के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र सं0–1629 दिनांक–18.12.2007 द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्गो को सभी प्रकार के ऋण की स्वीकृति के समय ही स्वीकृत ऋण की राशि का ब्याज की गणना करते हुए स्वीकृत्यादेश में ब्याज के किस्तों को निर्धारित कर दी जाती है। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधानित है कि मूलधन की वसूली पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित ब्याज के किस्तों की वसूली अगले माह से प्रारंभ हो जाएगी। ब्याज का भुगतान प्रारंभ होने के बाद ब्याज की वास्तविक देय राशि की गणना करते हुए ब्याज के किस्तों का निर्धारण अंतिम रूप से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा। उक्त परिपत्र क अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्त विभागीय परिपत्र सं0–194 दिनांक–05.03.14 द्वारा सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि महालेखाकार के पत्रांक–एल0टी0ए0–II / एम0सी0ए0 / 753 दिनांक–16.07.2014 के निदेशानुसार विभिन्न अग्रिमों के मूलधन एवं उस पर गणित सूद की वसूली ससमय करने तथा उन मामलों में भी जिनके अग्रिमों का रख–रखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है, उसकी वसूली विवरणी, टी0भी0 संख्या एवं दिनांक सहित सूचना महालेखाकार को भेजने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त नियम के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विभिन्न अग्रिमों एवं उस पर सूद की वसूली ससमय करने तथा उन मामलों में भी जिनके अग्रिमों का रख–रखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है, वसूली विवरणी, टी0भी0 संख्या एवं दिनांक सहित महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सरकार के सचिव (संसाधन)

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञाप सं०—                                                   वि०(अ०), पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—**महालेखाकार, बिहार, पटना** को उनके पत्रांक—एल०टी०ए० II / एम०सी०ए० / 753 दिनांक—16.07.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एच० आर० श्रीनिवास)
सरकार के सचिव (संसाधन)

ज्ञाप सं०—                                                   वि०(अ०), पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— **सभी कोषागार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एच० आर० श्रीनिवास)
सरकार के सचिव (संसाधन)

ज्ञाप सं०—                                   517        वि०(अ०), पटना, दिनांक— 28.5.15

प्रतिलिपि— **सदस्य राजस्व पर्षद, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / परिषद, पटना / सभी समाहर्त्ता, सभी आरक्षी अधीक्षक / वित्त विभाग के सभी पदाधिकारीयों (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/5
(एच० आर० श्रीनिवास)
सरकार के सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक 446-2 / स्था० विभाग, 11 जून 2015 ई०

प्रतिलिपि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी—मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6
जिला स्थापना उप समाहर्त्ता
मधेपुरा।
11-6-15

120 प्रति